वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 147/2025 **प्रेस-नोट, थाना बरदह जनपद आजमगढ़** **दिनांक-20.04.2025**

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 20.04.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी है।

01. थाना- तरवां क्षेत्रान्तर्गत दो पक्षों के मध्य हुई मारपीट व पथराव की घटना में संलिप्त 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, पूर्व में 12 अन्य अभियुक्तों की भी की जा चुकी है गिरफ्तारी

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 18.04.2025 को नागेन्द्र चौहान पुत्र रामायन चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ की बारात बेल्थरा रोड जनपद बलिया गयी थी। बारात में डीजे पर अपने-अपने पसंद का गाना बजवाने को लेकर बाराती ही आपस में लड़-भिड़ गये, जिसमें कुछ लोगों को चोटें आयी थी, वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बिगुल चौहान पत्नी रमेश चौहान निवासी दानगंज थाना चोलापुर जनपद वाराणसी व कुछ अन्य महिला व बच्चे भी वर पक्ष के घर ग्राम ठाटा दोयम आये हुए थे। दूल्हे पक्ष के व गांव के अन्य तमाम लोग यह आरोप लगाने लगे कि इन्हीं महिलाओं के कहने पर बेल्थरा रोड बारात में मारपीट की घटना हुई है। सूचना प्राप्त होने पर मौके पर उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया द्वारा जाकर लोगों को काफी समझाया बुझाया गया किन्तु मौके पर उपस्थित महिला एवं पुरुष गाड़ी संख्या –UP65FH7238 को लगातार घेरे रहे तथा उक्त गाड़ी में बैठे महिलाओं बच्चों व चालक को बंधक बना लिये थे। काफी समझाने बुझाने पर भी उक्त महिला-पुरुष अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे थे तब उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया द्वारा थानाध्यक्ष तरवां व उच्चाधिकारीगण को जरिए दूरभाष मौके की स्थिति से अवगत कराया गया। थोड़ी ही देर में मौके पर थानाध्यक्ष तरवां चन्द्रदीप कुमार मय हमराह 1.का0 महेश कुमार,का0 नवीन कुमार पुलिस बल के मौके पर पहुंचे थोड़ी देरी में हस्बुल तलब पुलिस बल उ0नि0 शमशेर बहादुर सिंह, उ0नि0 पारसनाथ ,हे0का0 रमेश यादव,का0 हर्षित यादव,का0 राजकर्ण ,का0 प्रमोद कुमार,का0 रामबहादुर यादव,म0का0 पूनम मौर्या,म0का0नगीना मौर्या,म0का0पूजा सिंह ,का0 रामविलास प्रजापति, का0अंकित सिंह, का0 संदीप पटेल भी मौके पर आ गये। थानाध्यक्ष महोदय व मौजूद पुलिस बल द्वारा उपस्थित प्रदर्शनकारियों को काफी समझाया बुझाया गया किन्तु उपस्थित महिला पुरुष प्रदर्शनकारी अपने हाथ में लाठी, डण्डा, ईंट, पत्थर लेकर आमदा फौजदारी हो गये तथा गाड़ी संख्या – UP65FH7238 मे बैठे महिलाओं बच्चों एवं चालक पर जान मारने की नियत से हमला कर दिये जिसके कारण उक्त गाड़ी में बैठे महिलाओं एवं बच्चों को चोट आयी तथा गाड़ी को भी बुरी तरह से लाठी,डण्डा व ईट पत्थर चलाकर क्षतिग्रस्त कर दिये। किसी प्रकार से उक्त हमलावरों से बचाने के लिए गाड़ी संख्या – UP65FH7238 मे बैठे महिलाओं बच्चों एवं चालक को पुलिस बल द्वारा निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने हेतु थाना स्थानीय के वाहन संख्या -UP50AG 0370 एवं वाहन संख्या - UP50AG 0360 में बैठाया जा रहा था कि उक्त हमलावरों द्वारा थाना के सरकारी गाड़ी पर भी ईट पत्थर व लाठी डण्डा से हमलाकर उक्त सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हमलावरों द्वारा हमला के दौरान गाली गलौज देते हुए कहे कि पुलिस वाले मिले हुए हैं पुलिस बालों को भी जान से मार दो कहते हुए हमला किये। मौके पर काफी तनाव पूर्ण व अफरातफरी का माहौल था। यदि पुलिस द्वारा आवश्यक बल का प्रयोग नहीं किया जाता तो हमलावरों द्वारा बन्धक बनाये गये व्यक्तियों की जान हमलावरों द्वारा ले लिया जाता। बंधक बनाये गये लोगों को जीवन रक्षार्थ मौके पर हमला करने वाले 1.जसवन्त चौहान पुत्र अग्निदेव चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 2.चिरंजीव पुत्र विलास चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 3.शिव वचन पुत्र रमई चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 4.रविकान्त चौहान पुत्र बेहकू चौहान निवासी उचहुआ थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 5.रामआशीष चौहन पुत्र दीप चन्द चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 6.सूरज चौहान पुत्र शोभनाथ चौहान निवासी सेर्रा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ 7.राम सरेख चौहान पुत्र प्रभु चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 8.मुरली चौहान पुत्र भोजू चौहान निवासी बघरा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 9.फौदार चौहान पुत्र स्व0 रामनाथ चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 10.शकुन्तला पत्नी द्वारिका निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 11.सोनी पत्नी योगेश निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 12.बीमा चौहान पत्नी मुकेश चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ समय करीब 12.30 बजे थाटा दोयम से पुलिस बल के सहयोग से गिरफ्तार किया जा चुका है, मौके से अन्य अभियुक्त भागने में सफल रहे। मौके पर हमलावरों के द्वारा पथराव के दौरान मौजूद पुलिस बल को भी चोटे आयी हैं, थाना हाजा पर उपस्थित आकर वादी मुकदमा उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया थाना तरवां जनपद आजमगढ़ द्वारा मु0अ0सं0 -82/2025 धारा - 190,191(2),191(3),109,127(2),125,121(1), भा0न्या0सं0 व 7 सीएलए एक्ट व 3/5 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम बनाम 1.जसवन्त चौहान पुत्र अग्निदेव चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 2.चिरंजीव पुत्र विलास चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 3.शिव वचन पुत्र रमई चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़

4.रविकान्त चौहान पुत्र बेहकू चौहान निवासी उचहुआ थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 5.रामआशीष चौहन पुत्र दीप चन्द चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 6.सूरज चौहान पुत्र शोभनाथ चौहान निवासी सेर्रा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ 7.राम सरेख चौहान पुत्र प्रभु चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 8.मुरली चौहान पुत्र भोजू चौहान निवासी बघरा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 9.फौदार चौहान पुत्र स्व0 रामनाथ चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 10.शकुन्तला पत्नी द्वारिका निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 11.सोनी पत्नी योगेश निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 12.बीमा चौहान पत्नी मुकेश चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 13.सर्वेश यादव पुत्र कालिका 14.जुगनू पुत्र नीरू चौहान 15.नीरज पुत्र शोभनाथ 16.धीरज पुत्र शोभनाथ 17.मंजू पत्नी बिट्टू 18.हवन्ती पत्नी मिन्दर 19.गुरुचरन पुत्र अज्ञात निवासीगण ग्राम ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ व 50 से 60 महिला व पुरुष नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 20.04.2025 को व0उ0नि0 जीतेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त निहाल चौहान पुत्र श्रीकिशुन चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष को समय करीब 12.15 बजे महमूगंज तिराहा से गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 -82/2025 धारा - 190,191(2),191(3),109,127(2),125,121(1), भा0न्या0सं0 व 7 सीएलए एक्ट व 3/5 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

निहाल चौहान पुत्र श्रीकिशुन चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम:-

1. व0उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़
2. का0 हर्षित यादव थाना तरवां जनपद आजमगढ़
3. का0 राजकर्ण थाना तरवां जनपद आजमगढ़

02.थाना-मेंहनगर:- गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण:-

दिनांक 20.03.2025 को श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ के द्वारा अनुमोदित शुदा गैंगचार्ट के बाबत प्र0नि0 अनुराग कुमार की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 125/2025 धारा 2(ख)(1)/3(1) गैंगेस्टर एक्ट बनाम 1.सोनू सिह उर्फ सुमित सिह पुत्र सत्यदेव सिह सा0 अहिरौली थाना मेहनगर जनपद आजमगढ 2.धिरेन्द्र सिह पुत्र रामकुमार सिह सा0 करीमनगर थाना बेनीगंज जनपद हरदोई, 3.अभिषेक सिह पुत्र रमेश सिह सा0 करीमनगर थाना बेनीगंज जनपद हरदोई , 4.रीता सिह पत्नी प्रेमसागर सिह नि0 दान पुरवा थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोण्डा के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

आज दिनांक 20.04.25 को प्र0नि0 अनुराग कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त सुमित सिंह उर्फ सोनू पुत्र सत्यदेव सिंह सा0 अहिरौली थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष को लौदह इमादपुर पुलिया के पास से समय करीब 11.35 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. सुमित सिंह उर्फ सोनू पुत्र सत्यदेव सिंह सा0 अहिरौली थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 125/2025 धारा 2(ख)(1)/3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:-

01. मु0अ0सं0 28/2024 धारा 406/420/504/506/467/468 भा0द0वि0 थाना मेंहनगर आजमगढ़

02. मु0अ0सं0 125/2025 धारा 2(ख)(1)/3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

01. प्र0नि0 अनुराग कुमार थाना मेंहनगर आजमगढ़

02.का0 अनिल चौधरी थाना मेंहनगर आजमगढ़

03.का0 अभिषेक यादव थाना मेंहनगर आजमगढ़

03.थाना-मेंहनगर:- भगवान बजरंगबली की मूर्ति विखण्डित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 20.04.2025 को प्रार्थी माया प्रसाद जायसवाल पुत्र रामपलट जायसवाल ग्राम पो0 सिंहपुर थाना मेहनगर आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि सिंहपुर बाजार स्थित अमृत सरोवर के पास भगवान बजरंगबली का पुरातन मंदिर स्थित है, आज प्रातः 07.00 बजे सिंहपुर बाजार निवासी गणेश गुप्ता पुत्र स्व0 झब्बर गुप्ता ने मंदिर का ताला दरवाजा, तोडकर भगवान बजरंगबली की मूर्ति तोडकर खण्डित कर दिया। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 167/25 धारा 298 बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

आज दिनांक 20.04.25 उ0नि0 पवन कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त गणेश गुप्ता पुत्र स्व0 झब्बर गुप्ता निवासी उम्मरपुर जनपद आजमगढ़ को सिंहपुर बाजार से समय करीब 14.10 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

गणेश गुप्ता पुत्र स्व0 झब्बर गुप्ता निवासी सिंहपुर उम्मरपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 167/2025 धारा 298 बीएनएस थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

01. उ0नि0 पवन कुमार सिंह थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

02. का0 उपेन्द्र प्रसाद थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

04.थाना-अहरौला:- चोरी की 04 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी का 1 अदद मंगलसूत्र पीली धातु , 2 अदद अंगूठी पीली धातु , 1 जोड़ी कुंडल पीली धातु , 1 अदद सिकड़ी पीली धातु, 2 जोड़ी पायल सफेद धातु ,2 अदद सोलर प्लेट बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

➡ दिनांक 01.05.2024 को रात्रि में ग्राम बेराव युधिष्ठिरपट्टी से एक मकान मे घुसकर नगद 144000 रू0 व 2 अदद अंगूठी , दो लाकेट , दोकानफूल , एक कुण्डल सोना एंव पावजेव चाँदी , 2 जोड़ी पायल चाँदी चोरी होने के सम्बन्ध मे दिनांक 03.05.2024 को आवेदक चन्द्रभान चौहान S/0 स्व0 रामनरेश चौहान निवासी ग्रा0 बेराव पो0 युधिष्ठिरपट्टी थाना अहरौला के लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 183/24 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

➡ दिनांक 31.05.2024 को रात्रि में जल निगम ग्राम कटवा गहजी से 04 पीस सोलर पैनल चोरी होने के सम्बन्ध मे दिनांक 01.06.2024 को आवेदक उन्नति राय पुत्र उपेन्द्र राय ग्राम धर्मदासपुर (नेवाद) थाना- तहबरपुर जनपद- आजमगढ़ के लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 267/24 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

➡ दिनांक 27.10.2024 को रात्रि में ग्राम लेदौरा पूरब केवटहिया मे एक मकान से ताला तोड़कर बक्सा व बैग मे रखा सोने का मंगल सूत्र एक, सोने की नथिया एक, पाजेब चांदी का एक जोड़ी , सोने का मांगटीका एक चांदी की हाथपलानी एक जोड़ी सोने का लाकेट एक पायल चांदी का एक जोड़ी चांदी की जितुवा 20, नगद बीस हजार चोरी होने के सम्बन्ध में दिनांक 29.10.2024 को आवेदिका माधुरी पत्नी संतोष निषाद ग्राम लेदौरा पूरब केवटहिया थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 462/24 धारा 305a/331(4) भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

➡दिनांक 13.02.2024 को वादी देवप्रिय गिरी पुत्र उमाशंकर गिरी निवासी ग्राम दुर्वासा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ के लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 55/24 धारा 365/357/347 भादवि बनाम 1. प्रवेश यादव पुत्र स्व0 सतीराम यादव लेदौरा (बनरपुरा) थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 2. सन्दीप सोनकर पुत्र अज्ञात 3. तीन अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। जिसमें वाद विवेचना अभियुक्त 1. पंकज यादव पुत्र ओंमप्रकाश यादव निवासी लहुरावन थाना अहरौला जिला आजमगढ़ 2. अभिषेक यादव उर्फ तुफानी यादव पुत्र रामबली यादव निवासी भीमलपट्टी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण/ स्थान-

आज दिनाँक 20.04.2025 को उ0नि0श्याम कुमार दूबे मय हमराह ,उ0नि0 प्रकाश मिश्रा, उ0नि0 नितेश कुमार चौबे मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त पंकज यादव पुत्र ओंमप्रकाश यादव निवासी लहुरावन थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को समय करीब 14.00 बजे पूर्व पट्टी सर्विस रोड़ से दक्षिण तरफ रोड़ के किनारे से चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ में जुर्म स्वीकार करते हुये बताया गया कि उसने अपने साथी 1. श्रीकान्त पुत्र श्री प्रसाद निवासी रसूलपुर थाना अहरौला आजमगढ़ 2. आदर्श पुत्र रामधनी निवासी रसूलपुर थाना अहरौला आजमगढ़ के साथ मिलकर चोरी की घटना को कारित किया गया था।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 267/24 धारा 379/411 भादवि थाना अहरौला, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 55/24 धारा 365/357/347/387 भादवि थाना अहरौला, आजमगढ़।
3. मु0अ0स0 462/24 धारा 305a/331(4)/ 317(2) भादवि थाना अहरौला, आजमगढ़।
4. मु0अ0स0 267/24 धारा 379 /411 भादवि थाना अहरौला, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता–

पंकज यादव पुत्र ओंमप्रकाश यादव निवासी लहुरावन थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष

1. मु0अ0सं0 267/24 धारा 379/411 भादवि थाना अहरौला, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 55/24 धारा 365/357/347/387 भादवि थाना अहरौला, आजमगढ़।
3. मु0अ0स0 462/24 धारा 305a/331(4)/ 317(2) भादवि थाना अहरौला, आजमगढ़।
4. मु0अ0स0 267/24 धारा 379 /411 भादवि थाना अहरौला, आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

01. 1 अदद मंगलसूत्र पीली धातु
02. 2 अदद अंगूठी पीली धातु
03. 1 जोड़ी कुंडल पीली धातु
04. 1 अदद सिकड़ी पीली धातु
05. 2 जोड़ी पायल सफेद धातु
06. 2 अदद सोलर प्लेट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0श्याम कुमार दुबे थाना अहरौला, जनपद-आजमगढ़।
2. उ0 नि0 श्री प्रकाश मिश्रा थाना अहरौला, जनपद-आजमगढ़।
3. उ0नि0 नितेश कुमार चौबे थाना अहरौला, जनपद-आजमगढ़।
4. हे0का0 राकेश सिंह थाना अहरौला, जनपद-आजमगढ़।
5. का0 विशाल सोनकर थाना अहरौला, जनपद-आजमगढ़।
6. का0 नागेन्द्र कुमार यादव थाना अहरौला, जनपद-आजमगढ़।
7. का0 प्रमोद कुमार यादव थाना अहरौला, जनपद-आजमगढ़।